

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज, उ.प्र.।

पंचायती राज अनुभाग-3

लखनऊ दिनांक : 12 अक्टूबर, 2022

विषय : पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित "राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर.जी.एस.ए.)" योजना के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-5/57/2017-आर.जी.एस.ए./4/81(1)/2015, दिनांक 29.07.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तरीय पुनर्योजित मार्गनिर्देश निर्गत करने का अनुरोध किया गया है। उल्लेखनीय है कि पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के मार्गनिर्देशन में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना को 01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च, 2022 तक केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित किए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया था, जिसकी राज्य मार्गनिर्देशिका शासनादेश सं०: 4183/33-3-2018-15 सी.एम./2013 टी.सी.।।, दिनांक 10 दिसम्बर, 2018 से निर्गत की गयी थी।

2- पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के स्तर पर वर्ष 2021 में योजना के मूल्यांकन कराए जाने के उपरान्त यह परिलक्षित हुआ कि पंचायतों के क्षमता संवर्द्धन और प्रशिक्षण (सी.बी.एंड.टी.) हेतु गतिविधियों के संचालन में अभी भी सुधार की सम्भावनाएं हैं एवं सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपनी भूमिकाओं के निष्पादन हेतु भी पंचायतों को तैयार किए जाने की और अधिक आवश्यकता है। मूल्यांकन रिपोर्ट में आर.जी.एस.ए. योजना के तहत पूर्व में किए गए कार्यों की सराहना की गयी और पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए इसे जारी रखने की सिफारिश की गयी। तदनुसार Cabinet Committee on Economic Affairs से अनुमोदन प्राप्त कर पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पंचायतों एवं ग्राम सभा की क्षमता व प्रभावशीलता में अभिवृद्धि तथा उनका सुदृढीकरण किये जाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना को 13 अप्रैल, 2022 को पुनर्योजित करते हुए वर्ष 2026 तक संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3- उक्तानुसार भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में राज्य सरकार के मार्गनिर्देशों में भी आवश्यकतानुसार संशोधन किया जा सकेगा। अतः योजना को 01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च, 2026 तक केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में

कार्यान्वित किए जाने के सम्बन्ध में निम्नांकित मार्गनिर्देश निर्गत किया जाता है:-

(A) पुनर्योजित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर.जी.एस.ए.) योजना के उद्देश्य:

1. सतत् विकास लक्ष्य (एस.डी.जी.) को पूरा करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं (पी. आर.आई.) की क्षमताओं का विकास करना।
2. उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग और अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण पर ध्यान देने के साथ समावेशी स्थानीय शासन के लिए पंचायतों की क्षमताओं को बढ़ाना।
3. स्वयं के राजस्व स्रोतों को बढ़ाने के लिए पंचायतों की क्षमताओं को बढ़ाना।
4. जनभागीदारी के माध्यम से प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए ग्राम सभाओं को सुदृढ़ बनाना।
5. संविधान के अनुसार पंचायतों की शक्तियों और जिम्मेदारियों के हस्तांतरण को बढ़ावा देना।
6. विभिन्न स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं की क्षमता वृद्धि के लिए संस्थाओं को सुदृढ़ बनाना; बुनियादी सुविधाओं, मानव संसाधन और परिणाम-आधारित प्रशिक्षण के गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध बुनियादी ढांचे के अधिकतम उपयोग हेतु अन्य विभागों और हितधारकों के साथ सहयोग करना।
7. पंचायती राज संस्थाओं के लिए क्षमता निर्माण और हैंड-होल्डिंग का समर्थन करने के लिए शैक्षणिक संस्थान/उत्कृष्ट संस्थानों की सहभागिता।
8. प्रशासनिक दक्षता से सुशासन को सक्षम करने और पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ बेहतर सेवा वितरण को सक्षम करने के लिए ई-गवर्नेंस और अन्य प्रौद्योगिकी संचालित समाधानों को बढ़ावा देना।
9. सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पंचायतों द्वारा किए गए कार्यों की पहचान एवं प्रोत्साहित करना।
10. विविध एवं विभिन्न समूहों तक पहुँच बनाने के लिए, अनुसंधान और प्रचार के माध्यम से पंचायतों की क्षमताओं को बढ़ाना तथा नीतिगत निर्णयों/आंकलन के लिए पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित अनुसंधान/अध्ययन संचालित करना।
11. अंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से सूचनाओं/विचारों का आदान-प्रदान और पंचायतों के मध्य कार्यक्रमों को पहुँचाना।

(B) योजना के मुख्य घटक/गतिविधियाँ.

1. सतत् विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण पर केन्द्रित क्षमता संवर्द्धन एवं प्रशिक्षण गतिविधियाँ।
2. अन्य केन्द्रित क्षमता संवर्द्धन एवं प्रशिक्षण गतिविधियाँ— एक्सपोजर, प्रशिक्षण मॉड्यूल विकास, पी.एल.सी., ग्राम पंचायतों को हैंड होल्डिंग सपोर्ट, मूल्यांकन, प्रशिक्षण आवश्यकताओं का आंकलन आदि।

3. राज्य/क्षेत्रीय एवं जनपद स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान/डी.पी.आर.सी. हेतु आवश्यकतानुसार किराए का भवन, प्रशिक्षण सामग्री/उपकरण, संचालन एवं खण्ड स्तरीय प्रशिक्षणों में सहयोग।
4. पंचायत भवन एवं कॉमन सर्विस सेंटर सहस्थापना हेतु ग्राम पंचायतों को सहयोग।
5. राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई का विकासखण्ड स्तर तक विस्तार।
6. ई-इनेबलमेंट अन्तर्गत लैपटॉप/कम्प्यूटर-यू.पी.एस./प्रिंटर आदि की उपलब्धता।
7. नवाचार।
8. सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई.ई.सी.)।
9. कार्यक्रम प्रबंधन।

(C) योजना के संचालन हेतु राज्य स्तर पर निम्न 04 समितियों का गठन किया जाता है:-

(क) राज्य सलाहकार समिति -

- | | |
|---|------------|
| ● मंत्री, पंचायती राज विभाग | अध्यक्ष |
| ● मंत्री, ग्राम्य विकास विभाग | सदस्य |
| ● मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग | सदस्य |
| ● मंत्री, महिला एवं बाल कल्याण विभाग | सदस्य |
| ● मंत्री, शिक्षा विभाग | सदस्य |
| ● मंत्री, समाज कल्याण विभाग | सदस्य |
| ● पंचायतीराज के क्षेत्र में काम कर रहे 02 प्रतिष्ठित व्यक्ति | सदस्य |
| ● अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकारी पंचायतों में से 02 पंचायतों के प्रधान, उ०प्र०। | सदस्य |
| ● रोटेशन द्वारा 02 जिला पंचायत अध्यक्ष, उ०प्र० | सदस्य |
| ● रोटेशन द्वारा 02 क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष, उ०प्र० | सदस्य |
| ● अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायतीराज, उ०प्र० शासन | सदस्य/सचिव |
| ● प्रमुख सचिव, समाज कल्याण, उ०प्र० शासन | सदस्य |
| ● प्रमुख सचिव, वित्त, उ०प्र० शासन। | सदस्य |
| ● प्रमुख सचिव, महिला और बाल विकास, उ०प्र० शासन। | सदस्य |
| ● आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ०प्र० शासन। | सदस्य |
| ● निदेशक, पंचायती राज, उ०प्र०। | सदस्य |

कार्य एवं दायित्व

राज्य सलाहकार समिति द्वारा निम्नलिखित कार्यो एवं दायित्व का निर्वहन किया जायेगा-

- कार्यक्रम की समय-समय पर समीक्षा।
- कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु राज्य के सम्बन्धित अधिकारियों को सुझाव देना।

(ख) राज्य संचालन समिति (एस.एस.सी.) -

- मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन। अध्यक्ष
- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन। उपाध्यक्ष
- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ०प्र० शासन। सदस्य सचिव

निम्नलिखित विभागों के प्रमुख सचिव अथवा उनके द्वारा भाग न लिये जाने की स्थिति में नामित अधिकारी जो विशेष सचिव स्तर से निम्न स्तर का अधिकारी न हो।

- नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन। सदस्य
- आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स, विभाग, उ०प्र० शासन। सदस्य
- महिला एवं बाल विकास विभाग, उ०प्र० शासन। सदस्य
- प्राथमिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन। सदस्य
- चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन। सदस्य
- युवा कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन। सदस्य
- वित्त विभाग, उ०प्र० शासन। सदस्य
- निदेशक 'प्रिंट' पंचायती राज, उ०प्र०। सदस्य
- उप महानिदेशक/राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. लखनऊ। सदस्य
- निदेशक पंचायती राज, उ०प्र०। सदस्य
- अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक, पंचायती राज निदेशालय, उ०प्र०। सदस्य
- अध्यक्ष की अनुमति से आवश्यकतानुसार 02 से अनधिक विशेष आमंत्रित सदस्य भी नामित किये जा सकेंगे।

कार्य एवं दायित्व

राज्य संचालन समिति द्वारा निम्नलिखित कार्यो एवं दायित्वों का निर्वहन किया जायेगा-

- निश्चित अन्तराल पर योजना के क्रियान्वयन के अनुश्रवण हेतु समीक्षा किया जाना।
- आर.जी.एस.ए. के दिशा-निर्देशों के अनुसार नीतिगत निर्णय लिया जाना।
- योजना से सम्बन्धित विभागों के बीच अन्तर्विभागीय समन्वय स्थापित किया जाना।

बैठक

उक्त समिति की वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बैठक आयोजित की जायेगी। समिति के अध्यक्ष की अनुमति से समिति की विशेष बैठकों का आयोजन किया जा सकेगा।

(ग) राज्य कार्यकारी समिति (एस.ई.सी.) -

- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ०प्र० शासन। अध्यक्ष
- विशेष सचिव, पंचायती राज अनुभाग-3, उ०प्र० शासन। सदस्य
- विशेष सचिव, कृषि विभाग, उ०प्र० शासन। सदस्य
- निदेशक, पंचायती राज, उ०प्र०। उपाध्यक्ष
- महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान उ०प्र०, लखनऊ के प्रतिनिधि। सदस्य
(जो संयुक्त निदेशक के स्तर से निम्न स्तर का अधिकारी न हो)
- अपर/संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक(पं०), पंचायती राज, उ०प्र०। सदस्य/सचिव
- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी/वित्त नियंत्रक पंचायती राज निदेशालय, उ०प्र०। सदस्य
- विशेष सचिव, नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन। सदस्य
- विशेष सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र० शासन। सदस्य
- विशेष सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन। सदस्य
- विशेष सचिव, महिला एवं बाल कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन। सदस्य
- विशेष सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन। सदस्य
- निदेशक 'प्रिंट', पंचायती राज, उ०प्र०। सदस्य
- उपनिदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ, पंचायती राज विभाग, उ०प्र०। सदस्य
- अध्यक्ष की अनुमति से आवश्यकतानुसार 2 से अनधिक आमंत्रित सदस्य भी नामित किये जा सकेंगे।

कार्य एवं दायित्व :-

राज्य कार्यकारी समिति द्वारा निम्नलिखित कार्यों एवं दायित्व का निर्वहन किया जायेगा-

- आर.जी.एस.ए. की वार्षिक कार्ययोजना पर स्वीकृति प्रदान करना।
- ऐसे बिन्दुओं का चिन्हांकन जिन पर नीतिगत निर्णय लिया जाना अपेक्षित हो।
- कार्यक्रम का अनुश्रवण व प्रगति समीक्षा।
- ऐसे बिन्दु जिनमें अन्तर्विभागीय समन्वय स्थापित करना आवश्यक हो, का चिन्हांकन करना।
- कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के अन्तर्गत कार्यरत सलाहकारों/परामर्शदाताओं एवं कर्मियों की सेवा का विस्तारीकरण करना।

- कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के अन्तर्गत कार्यरत परामर्शदाताओं/कर्मियों के मानदेय/परामर्शी शुल्क की बढ़ोत्तरी के सम्बंध में अनुश्रवण समिति द्वारा लिए गए निर्णयों का अनुमोदन।
- कार्यक्रम के क्रियान्वयन में आये अवरोधों को दूर किया जाना।
- पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार से नियमित सम्पर्क बनाये रखते हुए प्रगति सूचनाएं एवं धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र आदि भारत सरकार को उपलब्ध कराया जाना।
- अभियान के अनुश्रवण एवं बेहतर संचालन के लिए आवश्यक निर्णय एवं दिशा-निर्देश जारी करना, परन्तु कार्योत्तर अनुमोदन स्टेट पंचायत एकजीक्यूटिव कमेटी से प्राप्त किया जायेगा।
- स्वीकृत योजना के अनुसार योजना की विभिन्न गतिविधियों का क्रियान्वयन करना।

बैठक

उक्त समिति की वित्तीय वर्ष में कम से कम दो बैठकें आयोजित की जायेगी। समिति के अध्यक्ष की अनुमति से समिति की विशेष बैठकों का आयोजन किया जा सकेगा।

(घ) अनुश्रवण समिति -

निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश इस समिति के पदेन अध्यक्ष होंगे। यह समिति उपरोक्त तीनों समितियों (राज्य सलाहकार समिति, राज्य संचालन समिति व राज्य कार्यकारी समिति) के निर्देशों का अनुपालन करायेगी एवं राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी समिति होगी तथा राज्य, मण्डल, जनपद, विकासखण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण का दायित्व समिति का होगा। राज्य स्तर पर होने वाले समस्त वित्तीय एवं प्रशासनिक प्रबन्धन के कार्य समिति के अनुमोदन से किये जायेंगे। योजना के क्रियान्वयन की रणनीति तैयार करना एवं प्रशिक्षण एवं क्षमता संवर्द्धन हेतु जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर अथवा ब्लाक पंचायत रिसोर्स सेंटर में तैनात रिसोर्सज की सेवाओं/मानदेय से सम्बन्धित निर्णय समिति द्वारा किए जा सकेंगे। राज्य स्तर पर खाते का संयुक्त संचालन निदेशक/अध्यक्ष, पंचायती राज विभाग एवं उपनिदेशक(पं०)/नोडल अधिकारी, आर.जी.एस.ए. सदस्य सचिव, द्वारा किया जायेगा। कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई एवं कार्यक्रम प्रबंधन से सम्बन्धित सभी निर्णय एवं उनका क्रियान्वयन अनुश्रवण समिति द्वारा किया जायेगा एवं राज्य कार्यकारी समिति के समक्ष बैठक में निर्णय से अवगत कराया जायेगा।

- | | |
|---|------------|
| 1. निदेशक, पंचायती राज, उ०प्र०। | अध्यक्ष |
| 2. उपनिदेशक(पं०)/नोडल अधिकारी, आर.जी.एस.ए.। | सदस्य सचिव |
| 3. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, पंचायती राज, उ०प्र०। | सदस्य |

(D) कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पी.एम.यू.) मद

पंचायती राज विभाग तथा पंचायतों को मानव संसाधन की सहायता प्रदान करने के दृष्टिगत राज्य, जनपद तथा विकासखण्ड स्तर पर कार्यक्रम प्रबंधन इकाई स्थापित किया जाएगा। कार्यक्रम प्रबंधन इकाई द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कार्यक्रम के विभिन्न गतिविधियों का नियोजन तथा अनुश्रवण की कार्यवाही की जायेगी। साथ ही साथ ई-गवर्नेन्स, तथा एस.डी.जी. के स्थानीयकरण की प्राप्ति में पंचायतों को सहयोग प्रदान किया जायेगा।

कार्यक्रम प्रबंधन के अन्तर्गत प्रोफेशनल की सेवायें ली जायेंगी। प्रोफेशनल/परामर्शी की सेवायें आवश्यकतानुसार पूर्णकालिक तथा अल्पकालिक आउटसोर्सिंग तथा प्रोफेशनल कन्सलटिंग एजेन्सी के माध्यम से ली जा सकेंगी।

कार्यक्रम प्रबंधन मद

कार्यक्रम प्रबंधन के अन्तर्गत योजना के क्रियान्वयन के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से तैनात किये गये परामर्शदाताओं/कर्मियों के परामर्शी शुल्क/वेतन, सहायक सेवाओं, ईंधन प्रभारों, किराये पर लिये गये वाहनों के प्रभारों, लेखन सामग्री, कम्प्यूटर कार्टेज, अभियान की निगरानी और मूल्यांकन, योजनान्तर्गत आयोजित बैठकों आदि पर व्यय की गयी धनराशि तथा कार्यरत मानव संसाधन सम्बंधी आकस्मिक व्यय सम्मिलित होंगे।

भारत सरकार द्वारा स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना की 1.5 प्रतिशत धनराशि का प्रयोग कर राज्य स्तर पर क्षमता संवर्द्धन, आई.ई.सी, ई गवर्नेन्स, प्रबंधन, अनुश्रवण और मूल्यांकन इत्यादि में प्रासंगिक अनुभव और विशेषज्ञता वाले प्रोफेशनल/सलाहकार उक्त पी.एम.यू. में आउटसोर्सिंग से रखे जा सकेंगे। पूर्णकालिक सलाहकार के साथ-साथ अल्प अवधि हेतु भी सलाहकारों को आउटसोर्सिंग से समय-समय पर रखा जा सकेगा। एस.ई.सी. (राज्य कार्यकारी समिति) द्वारा अनुमोदित मानदंडों के अनुसार कार्यक्रम प्रबंधन के लिए प्रोफेशनल एजेंसियों को आउटसोर्स किया जा सकेगा।

राज्य/मंडल/जनपद स्तर पर कार्यक्रम के अनुश्रवण हेतु भ्रमण/बैठकों एवं भारत सरकार की बैठकों/कार्यशालाओं/प्रशिक्षणों में प्रतिभाग, एक्सपोजर विजिट इत्यादि पर आने वाले यात्रा-भत्ता व्यय आदि का भुगतान नियमानुसार इसी मद से किया जायेगा।

8.6.1. कार्यक्रम प्रबंधन के अन्तर्गत निम्नलिखित मदों पर व्यय पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है-

- वाहनों की खरीद।
- भूमि और भवनों की खरीद।
- औपचारिक भवनों और विश्राम गृहों का निर्माण।
- किसी राजनीतिक दल और धार्मिक संगठनों पर व्यय।
- उपहार एवं दान पर व्यय।

(E) योजनान्तर्गत विभिन्न स्तरों पर प्रबंधन इकाईयों का विवरण:

क्र.सं०	पदनाम	कुल पद
राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई / कार्यक्रम प्रबंधन मद (राज्य स्तर)		
01	नोडल अधिकारी, आर.जी.एस.ए. (अपर/संयुक्त/उप निदेशक(पं०), पंचायती राज, उ.प्र.)	विभागीय अधिकारी
02	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, पंचायती राज, उ.प्र.।	विभागीय अधिकारी
03	कार्यक्रम प्रभारी, पंचायती राज, उ.प्र.।	विभागीय
04	लेखाकार/खजांची	विभागीय
05	राज्य परियोजना प्रबंधक (प्रबन्धन एवं प्रोक्योरमेन्ट)	1
06	स्टेट फाईनेन्सियल कन्सलटेन्ट	1
07	स्टेट कन्सलटेन्ट- आई.टी.	2
08	स्टेट कन्सलटेन्ट-कैपेसिटी बिल्डिंग एवं मॉनिटरिंग एण्ड इवेल्युएशन एवं आई.ई.सी. कम डाक्यूमेंटेशन	3
09	एसोसिएट कन्सलटेन्ट	2
10	सफ्टवेयर डेवलपर	2
11	ऑफिस असिस्टेन्ट	2
12	प्रोजेक्ट एक्जीक्यूटिव/एनालिस्ट/नेटवर्क कम हार्डवेयर सपोर्ट इंजीनियर	2
13	कम्प्यूटर ऑपरेटर	3
14	ऑफिस स्टाफ/ऑफिस हेल्पर	2
जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (जनपद स्तर)		
01	डी.पी.एम.यू. हेड (जिला पंचायत राज अधिकारी, पंचायती राज, उ.प्र.)	विभागीय
02	जिला कार्यक्रम प्रबंधक (प्रति जनपद)	2
03	कम्प्यूटर ऑपरेटर/डाटा इंटी ऑपरेटर/एम.आई.एस./डाटा इंजीनियर/प्रोजेक्ट एक्जीक्यूटिव/एनालिस्ट (प्रति जनपद)	1
खण्ड कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (विकासखण्ड स्तर)		
01	बी.पी.एम.यू. हेड (सहायक विकास अधिकारी-पंचायत)	विभागीय
02	खण्ड परियोजना प्रबंधक 2 प्रति विकासखण्ड (सामाजिक एवं तकनीकी)	2
03	कम्प्यूटर ऑपरेटर/एकाउंटेंट एवं प्रशासनिक सहायक/ डाटा इंटी ऑपरेटर/एम.आई.एस./डाटा इंजीनियर/प्रोजेक्ट एक्जीक्यूटिव/एनालिस्ट	1

नोट:- उक्त तालिका में अंकित पदों में से विभागीय पदों के अतिरिक्त पदों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यक्रम प्रबंधन इकाई एवं कार्यक्रम प्रबंधन मद से भरा जा सकेगा।

(F) राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के कार्य-

- (क) प्रत्येक वर्ष योजना की वार्षिक कार्ययोजना तैयार करना।
- (ख) ग्राम पंचायत विकास योजना एवं सतत् विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण का क्रियान्वयन, उनके इन्टीग्रेशन एवं क्षमता संवर्द्धन एवं प्रशिक्षण सम्बंधी गतिविधियों का संचालन एवं रिपोर्टिंग करना।
- (ग) कार्यक्रम में सम्बन्धित अधिकारिक शासनादेशों का आलेख्य तैयार करना।
- (घ) पंचायत इण्टरप्राइज सूट/ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के विभिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्रियान्वयन एवं सॉफ्टवेयर में आ रही तकनीकी समस्याओं का निराकरण करना एवं कराना।
- (ङ) योजना के घटकों के क्रियान्वयन हेतु आवश्यकतानुसार प्रस्ताव, आर.एफ.पी., ई.ओ.आई. आदि तैयार करना।
- (च) पंचायत प्रतिनिधियों/कर्मियों का क्षमता विकास हेतु संदर्भ साहित्य तथा अन्य आवश्यकताओं के आंकलन के अनुसार मॉड्यूल का विकास।
- (छ) योजनान्तर्गत भारत सरकार/राज्य सरकार से प्राप्त धनराशि का लेखे-जोखे का पृथक से रख-रखाव आदि।
- (ज) आर.जी.एस.ए. से सम्बन्धित विभिन्न घटकों यथा- मॉडल ग्राम पंचायत, पी.एल.सी., कॉमन सर्विस, गतिविधियों के अनुश्रवण/मूल्यांकन तथा पंचायतों में नवाचार/उत्कृष्ट कार्यों से सम्बन्धित सफलता की कहॉनियों का डाक्यूमेंटेशन एवं प्रचार-प्रसार।
- (झ) कार्यक्रम से सम्बन्धित अन्य कार्य एवं समय-समय पर निर्गत आदेशों का पालन।

(G) जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के कार्य-

- (क) पंचायत इण्टरप्राइज सूट/ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के विभिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्रियान्वयन कर तकनीकी समस्याओं के समाधान में ग्राम पंचायतों की सहायता।
- (ख) ग्राम पंचायतों एवं राज्य के साथ समन्वय स्थापित कर पंचायतों क्षमता संवर्द्धन से जुड़ी गतिविधियों का संचालन एवं उसकी रिपोर्टिंग का कार्य।
- (ग) क्षमता संवर्द्धन एवं प्रशिक्षण गतिविधियों की आवश्यकताओं का आंकलन एवं उनको डी.पी.आर.सी./राज्य को सूचित करना, आवश्यकतानुसार तकनीकी एवं गैर तकनीकी प्रशिक्षणों का स्वयं के स्तर पर संचालन।
- (घ) ग्राम पंचायत विकास योजना एवं सतत् विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण का क्रियान्वयन हेतु प्रचार-प्रसार एवं विभागीय कन्वर्जेंस पर कार्य करना।
- (ङ) ग्राम सचिवालयों की क्रियाशीलता एवं उनमें कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण।
- (च) मॉडल ग्राम पंचायतों, पंचायत लर्निंग सेंटर के विकास एवं आय के स्वयं स्रोतों सफल प्रयोग एवं उनके डाक्यूमेंटेशन का कार्य।
- (छ) पंचायत विकास योजना की प्रक्रिया को लागू करने के लिए पंचायतों को हैंडहोल्डिंग सपोर्ट देना तथा समय-समय पर पंचायतों द्वारा अपलोड कार्ययोजना का अनुश्रवण कर उनको मार्गदर्शन प्रदान करना।

- (ज) आर.जी.एस.ए. योजना से सम्बन्धित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु खण्ड कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई को मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण देना।
- (झ) कार्यक्रम से सम्बन्धित अन्य कार्य एवं समय-समय पर निर्गत आदेशों का पालन।
- (H) खण्ड कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के कार्य-
- (क) पंचायत इण्टरप्राइज सूट/ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के विभिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्रियान्वयन में आने वाली तकनीकी समस्याओं के समाधान में ग्राम पंचायतों की सहायता।
- (ख) ग्राम पंचायतों एवं जनपद/राज्य के मध्य समन्वय स्थापित कर क्षमता संवर्द्धन/प्रशिक्षण से जुड़ी गतिविधियों का संचालन एवं उसकी रिपोर्टिंग का कार्य।
- (ग) क्षमता संवर्द्धन एवं प्रशिक्षण गतिविधियों की आवश्यकताओं का आंकलन एवं उनको डी.पी.आर.सी./जनपद के माध्यम से राज्य को सूचित करना।
- (घ) पंचायत विकास योजना की प्रक्रिया को लागू करने के लिए पंचायतों को हैंडहोल्डिंग सपोर्ट देना तथा उसके सतत् विकास लक्ष्यों के साथ स्थानीयकरण से इंटीग्रेशन पर कार्य।
- (ङ) ग्राम सचिवालयों की कियाशीलता एवं उनमें कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना का सक्रिय रूप से अनुश्रवण।
- (झ) योजना से सम्बन्धित अन्य कार्य एवं समय-समय पर निर्गत आदेशों का पालन।

योजनान्तर्गत राज्य/जनपद स्तर पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से तैनात परामर्शदाताओं/अन्य कार्यरत विभागीय कर्मियों का परामर्शी शुल्क, मानदेय, यात्रा-भत्ता, स्टेशनरी, आयोजित बैठकों/कार्यशालाओं/प्रशिक्षणों, किराये के वाहनों एवं अन्य कार्यक्रम प्रबन्धन से सम्बन्धित समस्त व्यय राज्य स्तर पर उपलब्ध कार्यक्रम प्रबन्धन मद से किया जायेगा। परियोजना प्रबन्धन मद अन्तर्गत समस्त गतिविधियों निदेशक, पंचायती राज, उ०प्र० के नियन्त्रण एवं उनकी देख-रेख तथा मार्गदर्शन में सम्पादित होंगी, जिस पर निर्णय अनुश्रवण समिति की बैठकों में लिया जाएगा एवं कार्योत्तर अनुमोदन राज्य कार्यकारी समिति के स्तर पर प्राप्त किया जाएगा।

आर.जी.एस.ए. योजनान्तर्गत पूर्व से कार्यरत मानव संसाधन तथा परामर्शियों को पुनःसंरचित आर०जी०एस०ए० योजना में समायोजित करते हुए कार्यरत परामर्शियों/कार्यरत मानव संसाधनों की सेवाओं आने वाले व्यय का वहन कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई तथा कार्यक्रम प्रबन्धन मद से अनुश्रवण समिति के निर्णयों के उपरान्त लिया जा सकेगा।

(I) आउटसोर्सिंग परामर्शदाताओं/कर्मियों हेतु अवकाश-


कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत आउटसोर्सिंग परामर्शदाताओं/कर्मियों हेतु चालू वर्ष (01 जनवरी से 31 दिसम्बर) के अन्तर्गत आकस्मिक अवकाश एवं अन्य अवकाशों का पालन विभागीय मानव संसाधन नीति के अनुसार किया जाएगा।

(J) उपभोग प्रमाण-पत्र-

निदेशक, पंचायती राज, उ०प्र० वार्षिक कार्ययोजना में अनुमोदित विभिन्न गतिविधियों के सापेक्ष कार्यपूर्ति के पश्चात् उपभोग प्रमाण-पत्र भारत सरकार को भेजे जाने के लिए सक्षम अधिकारी होंगे एवं इस हेतु जनपदों से उपभोग प्रमाण-पत्र संकलित किए जाने की कार्यवाही पूर्ण करेंगे।

5- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,


(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, पंचायती राज, मंत्रालय भारत सरकार।
2. निजी सचिव, मा० मंत्री, पंचायती राज, उ०प्र० को मा० मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
4. स्टाफ ऑफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र०।
5. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज, उ०प्र० शासन को अपर मुख्य सचिव, महोदय के अवलोकनार्थ।
6. समस्त मा० सदस्यगण उपरोक्त से सम्बन्धित समिति हेतु।
7. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
8. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
9. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ०प्र०।
10. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं०), उ०प्र०।
11. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ०प्र०।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।